

७

मध्यप्रदेश शासन,  
चिकित्सा शिक्षा विभाग.

=====

रकमांक १८-१/२००९/२/पत्र

भोपाल, दिनांक १६.५.२०१०

प्रति,

११४ श्री कुमांत मेहता,  
अमर मुख्य सचिव,  
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग।

११४/पत्रकार  
१६/५  
२६/५

१२५ डॉ राजन छटोच,  
कुमुख सचिव,  
मध्यप्रदेश शासन,  
गृह विभाग, भोपाल।

१३६ श्रीमति अलका उषाध्याय,  
सचिव,  
मध्यप्रदेश शासन,  
तामान्य वृशासन विभाग, भोपाल।

विषय:- झंडिल भारतीय तेवा अधिकारियों व्यारा राज्य के बाहर कराये गये उपचार की कार्योत्तर स्वीकृति बाबत।

तिर्दर्श:- इस विभाग का तंत्रज्ञान प्राप्ति दिनांक १७ दिसम्बर २००९

=====

उपरोक्त तंदर्भित आदेश जिसके व्यारा झंडिल भारतीय तेवा अधिकारियों व्यारा राज्य के बाहर कराये गये उपचार तंबंधी इत्तार्वों का निराकरण करने हेतु तंबंधित वृशासनीय विभाग को आपूर्त किया गया था रत्नव्यारा निरत्त किया जाता है तथा झंडिल भारतीय तेवों के जाधिकारियों के उपचार तंबंधी इत्तर्वों का निराकरण पूर्वत् चिकित्सा शिक्षा की गठित कार्योत्तर सामति व्यारा ही किया जावेगा।

१. रत्नव्यारा जली  
झंडिल सचिव,  
मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग।

पुनर्जेञ्च १८-१/२००९/२/पत्र

भोपाल, दिनांक

प्रतिक्रिया:- ११४ पुलिस महानिर्देशक, पुलिस मुख्यालय, भोपाल

१२५ प्रधान मुख्य वन तंत्रज्ञक, सत्त्वशुद्धि भवन, भोपाल

१३६ संघीतक, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश भवन

को झोर सूचनार्थ एवं जावाह कर्त्तव्यादी हेतु अंग्रेजित।

Al Ccf Pramit  
23104  
D. T. S.  
R. D. S.  
Al 2340

2251  
24.4.10

२२५  
ताप्तव,  
मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग।